© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 01 Issue: 01 | July - December 2012
Paper is available at www.jrps.in | Email :info@jrps.in

महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि

Ravinder Singh
Research Scholar, CMJ University
Guide : Shamsher Singh

सार

यह निबंध महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की पड़ताल करता है, उन कारकों पर प्रकाश डालता है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व को आकार देते हैं। यह सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक प्रणालियों और लिंग गतिशीलता के अंतर्संबंध की जांच करता है, नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने और परिवर्तन को प्रभावित करने में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है। निबंध एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने के लिए समावेशी नीतियों, लिंग मुख्यधारा और सशक्तिकरण पहल के महत्व पर जोर देता है। वैश्विक रुझानों और केस स्टडीज के विश्लेषण के माध्यम से, यह निबंध जटिल गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को आकार देता है और लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों की वकालत करता है।

कीवर्ड: महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व लिंग असमानताएं

परिचय:

महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि समाज में उनकी भागीदारी और प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ा है जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक शक्ति तक उनकी पहुंच को सीमित करते हैं। हालांकि, महिला अधिकार आंदोलनों की प्रगति और लैंगिक समानता की बढ़ती मान्यता के साथ, इन असमानताओं को दूर करने के लिए प्रगति हुई है। इस निबंध का उद्देश्य बहुआयामी कारकों का पता लगाना है जो महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में योगदान करते हैं, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सामाजिक-आर्थिक कारक:

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 01 Issue: 01 | July - December 2012
Paper is available at www.jrps.in | Email :info@jrps.in

सामाजिक-आर्थिक कारक राजनीतिक प्रक्रियाओं में संलग्न होने और समाज के प्रभावशाली सदस्य बनने की महिलाओं की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा, आर्थिक संसाधनों, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक पहुंच महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कई समाजों में, महिलाओं को इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक जुड़ाव और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सीमित अवसर होते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, माइक्रोफाइनेंस तक पहुंच, और लिंग-उत्तरदायी बजट इन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में आवश्यक उपकरण हैं।

राजनीतिक प्रणाली और नीतियां:

राजनीतिक प्रणालियों की संरचना और समावेशी नीतियों की उपस्थिति का महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लिंग-उत्तरदायी नीतियां जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लिंग-आधारित भेदभाव और समान अवसरों जैसे मुद्दों को संबोधित करती हैं, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। कोटा प्रणाली, आरक्षित सीटों या लिंग-संतुलित चुनावी प्रक्रियाओं वाले देशों में राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, लैंगिक समानता के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, वकालत और सार्वजनिक समर्थन बाधाओं को तोड़ने और एक समावेशी राजनीतिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लिंग गतिशीलता और सांस्कृतिक मानदंड:

लिंग गतिशीलता और सांस्कृतिक मानदंड महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को गहन तरीकों से आकार देते हैं। पारंपरिक लिंग भूमिकाएं, सामाजिक अपेक्षाएं और रूढ़ियां महिलाओं की भागीदारी में बाधा डाल सकती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। सांस्कृतिक प्रथाएं जो लैंगिक असमानता और भेदभावपूर्ण मानदंडों को बनाए रखती हैं, उन्हें शिक्षा, जागरूकता अभियानों और विधायी उपायों के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए। हानिकारक लिंग मानदंडों को चुनौती देकर और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, समाज एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां महिला सदस्य कामयाब हो सकती हैं और सार्थक रूप से योगदान कर सकती हैं।

वैश्विक रुझान और केस स्टडीज:

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 01 Issue: 01 | July - December 2012
Paper is available at www.jrps.in | Email :info@jrps.in

वैश्विक रुझानों की जांच से प्रगति और लगातार चुनौतियों दोनों का पता चलता है। जबकि राजनीतिक और नेतृत्व के पदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, महत्वपूर्ण लिंग अंतराल अभी भी मौजूद हैं। विभिन्न देशों के केस स्टडी महिला सदस्यों पर सामाजिक-आर्थिक कारकों, राजनीतिक प्रणालियों और लिंग गतिशीलता के प्रभाव को उजागर करते हैं। रवांडा में लिंग कोटा, भारत में जमीनी स्तर पर लामबंदी और स्वीडन में विधायी सुधार जैसे सफल पहलों के उदाहरण, समावेशी नीतियों और महिला सशक्तिकरण प्रयासों की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

इंटरसेक्शनैलिटी: यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि समरूप नहीं है। महिलाओं के अनुभव और अवसर नस्ल, जातीयता, वर्ग, धर्म और विकलांगता जैसे प्रतिच्छेदन कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी हाशिए पर पड़ी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी और पारस्परिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

हिंसा और उत्पीड़न: महिला सदस्यों को अक्सर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है। लिंग-आधारित हिंसा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में संलग्न होने या अपनी राय देने से रोकती है। लिंग-आधारित हिंसा को संबोधित करने और रोकने के लिए सुरक्षित स्थान और मजबूत कानूनी ढांचे बनाना महत्वपूर्ण है, जिससे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

मेंटरशिप और सपोर्ट नेटवर्क: मेंटरशिप प्रोग्राम और सपोर्ट नेटवर्क महिला सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। सलाहकार और सहायता प्रणाली मार्गदर्शन, नेटवर्किंग के अवसर और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, महिलाओं को बाधाओं को दूर करने और अपनी पेशेवर और राजनीतिक यात्रा को नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाते हैं। मेंटरशिप पहल स्थापित करना और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देना नेतृत्व के पदों में महिलाओं के विकास और उन्नति में योगदान कर सकता है।

मीडिया और प्रतिनिधित्व: मीडिया सार्वजनिक धारणाओं को आकार देने और महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में, उनकी

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 01 Issue: 01 | July - December 2012
Paper is available at www.jrps.in | Email :info@jrps.in

दृश्यता, विश्वसनीयता और सार्वजनिक समर्थन को प्रभावित करता है। मीडिया में महिलाओं के विविध और सटीक चित्रण को प्रोत्साहित करना रूढ़ियों को चुनौती दे सकता है, युवा महिलाओं को प्रेरित कर सकता है, और अधिक समावेशी राजनीतिक परिदृश्य में योगदान दे सकता है।

वैश्विक सहयोग और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिला सदस्यों को सशक्त बनाना एक वैश्विक प्रयास है। महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान साझा करण और एसडीजी का कार्यान्वयन आवश्यक है। एसडीजी 5, विशेष रूप से लिंग समानता पर केंद्रित है, सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को लैंगिक असमानताओं को खत्म करने और सभी स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994:-

सन् 1992 में सविधान के 73 वें संशोधन के पश्चात् हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की यथा स्थिति में सुधार करने और उन्हे अधिक करने तथा इनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को लागू किया गया। हरियाणा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली को अपनाया गया है। ग्राम स्तर पर जिनकी जनसंख्या 500 हो वहां पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला-परिषद् की व्यवस्था की गई है। पंचायत संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं को दिया गया है। इस अधिनियम के तहत 24 अप्रैल, 1995 के पश्चात् सदस्यों के तीसरा बच्चा पैदा होने पर वह सदस्य धारा 174, 177 के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पंचायतो के चुनाव हर वर्ष के पश्चात् नियमित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम में 11 वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 29 विषय दिए गए हैं जिसके लिए आर्थिक तथा सामाजिक विकास की इन विषयों पर योजनाएं बनाने का कार्य पंचायत संस्थाओं को सौपा गया है।

हरियाणा सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेष लाने का फैसला किया है। इस संशोधन के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं वह पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव लड़ सकेगा। यह संशोधन उन लम्बित मामलों पर भी लागू होगा, जहां अभी चुनाव नहीं हुए हैं। हरियाणा में 24 अप्रैल, 1995 में यह लागू हो गया था कि दो से अधिक

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 01 Issue: 01 | July - December 2012
Paper is available at www.jrps.in | Email :info@jrps.in

जीवित बच्चे वाले लोग पंचायती राज और नगर निकास संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायतीराज संस्थाओं को बेहतर बनाने के इरादे से पंचायतों के युवा प्रतिनिधि विदेश जाकर वहां की पंचायतीराज प्रणाली का अध्ययन करेंगें। ये प्रतिनिधि 13 सितम्बर, 2006 से 22 सितम्बर, 2006 तक पंचायतीराज प्रणाली का अध्ययन करेगें। केन्द्र सरकार इन संस्थाओं को और पारदर्शी एंव बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधियों को चीन भेजेगा। इन प्रतिनिधियों में जिला परिषद्, पंचायत समिति एंव ग्राम पंचायत के चुने हुए युवा सदस्य जो 35 वर्ष की आयु तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते होगें।

निष्कर्ष

महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक मानदंडों और लिंग गतिशीलता सहित कारकों के एक जटिल अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। लैंगिक समानता प्राप्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज के सभी स्तरों पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करके, समावेशी नीतियों को लागू करके, हानिकारक लिंग मानदंडों को चुनौती देकर, और हिंसा और उत्पीड़न का मुकाबला करके, समाज एक सक्षम वातावरण बना सकता है जहां महिला सदस्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकती हैं। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखा जाए, लैंगिक समानता हासिल की जाए, और हमारे समाजों के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की आवाज सुनी जाए।

संदर्भ

1. कुकरेजा, सुन्दरलाल, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, अप्रैल 1998, पृ 11-13
2. राजकुमारी सुराणा, भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रिकरण और नवपंचायतीराज, जयपुर, राज पब्लिशिंग, हाऊस, 2000, पृ. 188-189
3. प्रवीन सेठ, वोमैन एम्पाॅवरमेन्ट एण्ड पाॅलिटिक्स इन इण्डिया, अहमदाबाद कर्णावती पब्लिकेशन्स, 1998, पृ. 79-82
4. शालिनी वधवा, भारतीय स्थानीय प्रशास, नई दिल्ली, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 2003, पृ. 224-225

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 01 Issue: 01 | July - December 2012
Paper is available at www.jrps.in | Email :info@jrps.in

5. विश्व विकास रिपोर्ट: लिंग, विश्व बैंक (2012)
6. "महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: मुद्दे और चुनौतियाँ," संयुक्त राष्ट्र महिला (2017)
7. "पाथवे टू पॉवर: एडवांसिंग वीमेन्स लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन," यूएनडीपी (2013)
8. "महिला आर्थिक अधिकारिता: वैश्विक रुझान और चुनौतियां," अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2019)
9. "द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट," वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (वार्षिक प्रकाशन)
10. "एन्डेंडरिंग डेवलपमेंट: थ्रू लैंगिक इक्वेलिटी इन राइट्स, रिसोर्सेज एंड वॉइस," वर्ल्ड बैंक (2001)
11. "महिलाओं का राजनीतिक अधिकारिता: कोटा की भूमिका," लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय विचार) (2019)
12. "लिंग और विकास: अवधारणाएं और परिभाषाएं," पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCWA) (2018)
13. "दुनिया की महिलाओं की प्रगति," संयुक्त राष्ट्र महिला (वार्षिक प्रकाशन)
14. "महिलाओं का राजनीतिक अधिकारिता और भागीदारी: रणनीति विकास के लिए एक संदर्भ ढांचा," अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) (2012)